न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए संख्या/2415/2004/बांसवाड़ा

1– रूपजी पुत्र हेमचंद कलाल (मृतक) जरिये वारिसान

1/1 हन्तोक पत्नी रूपजी

1/2 भंवरी लाल
1/3 मांगीलाल
1/4 देवीलाल
1/5 हितेष
1/6 संगीता
1/7 मंजू
1/8 भावना

पुत्र/पुत्रियां रूपजी

2– मांगीलाल पुत्र भूरा

3– बाबूलाल पुत्र भूरा

समस्त जाति कलाल निवासी ग्राम खमेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा।

4– श्रीमती केसर पत्नी छगनर जाति कलाल निवासी खमेरा हाल निवासी खेडिया का पहला तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1– अजमाल पुत्र माधू भील

2– नारायण पुत्र माधू भील

3– मोहनलाल पुत्र माधू भील

4– लक्ष्मण पुत्र माधू भील

समस्त निवासी ग्राम लालपुरा खमेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा।

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घाटोल जिला बांसवाड़ा

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–

1– श्री सुनील पारिक , अभिभाषक अपीलांट्स

2– श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, राजकीय अभिभाषक

3– श्री एस0पी0 ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

-निर्णय-

दिनांकः-04-08-2025

1- अपीलांट् ने यह अपील भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 20-03-2004 जिसके द्वारा अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके खमेरा पटवार हल्का खमेरा तहसील घाटोल के साबिक खसरा नम्बर 76/2 रकबा 16 बिस्वा भूमि के बाबत् वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88 व 188 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत धारा 125 व 136 पेश करते हुए वादग्रस्त आराजी जैर के बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग इस आधार पर की गई थी कि वादग्रस्त भूमि का वह खातेदार कृषक है जिसकी बिना सहमति के उक्त भूमि को प्रतापगढ़-बांसवाड़ा मार्ग हेतु स्वीकृत/दर्ज कर दी गई तथा नाही उक्त भूमि का कोई मुआवजा प्रदान किया गया। अतः आराजी जैर का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05-09-2000 के माध्यम से वादीगण/अपीलांट्स का वादपत्र खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, उदयपुर के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए वादीगण/अपीलांटस की अपील को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स द्वारा उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके खमेरा पटवार हल्का खमेरा तहसील घाटोल के साबिक खसरा नम्बर 76/2 रकबा 16 बिस्वा भूमि के बाबत् उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के समक्ष वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा एवं भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की मांग की गई। उक्त वादग्रस्त

भूमि अपीलांट्स के दादा गोविन्दजी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड रही है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। खसरा गिरदावरी संवत् 1999 से संवत् 2040 व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 76/1, 76/2 व नकल जमाबंदी संवत् 2044 से 47 व नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2044 से 2047 व खसरा गिरदावरी संवत 2048 में वादीगण के पिता गोविन्द पुत्र नाथा कलाल के नाम बहैसियत काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहा है।वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पूर्वजों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इन समस्त तथ्यों की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट्स संख्या 7 द्वारा वादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आराजी जैर को पीडब्ल्यूडी के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध बिना दस्तोवजी साक्ष्यों व तथ्यों की जांच किये वादीगण/अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज किया गया। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विपरीत जाकर निर्णय पारित करने विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट्स की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलांट् के वादपत्र को डिक्री किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन के समर्क्षन में आरआरडी 1973 पेज 203 व आरआरडी 1978 पेज 105 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा व 6 तनकीयात् कायम करते हुए प्रत्येक तनकी का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज किया गया। वादीगण के पूर्वज गोविन्दजी का नाही कभी वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त रहा और नाही कभी राजस्व रिकार्ड नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। जिसके कारण वादीगण से प्रतापगढ़ बांसवाडा सड़क निकालने के लिए न ही किसी प्रकार की स्वीकृति या मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री विधि प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों की जांच करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए विधि सम्मत मानते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज की गई। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

प्रकरण के तथ्य एवं दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों के अनुसरण में निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांटस् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखे जावे।

6- विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही पीडब्ल्यू विभाग के नाम दर्ज होते हुए गैर मुमकिन रास्ते की भूमि रही है। अपीलांट् द्वारा केवल मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपना कब्जाकाश्त बताते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर प्रथमतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा तदुपरान्त प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि बांसवाडा-प्रतापगढ़ सड़क बनते समय अन्य भूमियों के साथ आवाप्त किये जाने के आधार पर वादपत्र/अपील को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन सड़क होने के कारण उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार निजी व्यक्तियों को प्रदान नहीं किये जा सकते। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की अपील को खारिज की जावे।

7- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8- प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी वाके खमेरा पटवार हल्का खमेरा तहसील घाटोल के साबिक खसरा नम्बर 76/2 रकबा 16 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88 व 188 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत धारा 125 व 136 के तहत पेश करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की मांग की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार 6 तनकीयात् कायम करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 05-09-2000 पारित करते हुए वादपत्र को खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण/अपीलांट्स द्वारा

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की मांग इस आधार पर की गई है कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 76/2 रकबा 16 बिस्वा भूमि मौके ग्राम खामेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा वादीगण की खाते व कब्जेकाश्त की भूमि रही है। जिसे पीडब्ल्यूडी के नाम बिना मुआवजा प्रदान किये दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मूलरूप से विवाद खसरा नम्बर 76/2 की 16 बिस्वा भूमि को लेकर रहा है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें खसरा नम्बर 75, 76 व 78 की भूमियों के साथ-साथ वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 76/1 कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि सड़क में जाने के कारण खातेदारी से रकबा कम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। इसी अनुरूप खसरा नम्बर 76 की शेष 5 बिस्वा भूमि जो पहले से ही अलग से रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड की जा चुकी थी। जिसका खसरा नम्बर 76/2 अंकित किया गया है। इस प्रकार मूल खसरा नम्बर 76 की 21 बिस्वा भूमि को खसरा नम्बर 76/1 की 16 बिस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 76/2 की 05 बिस्वा भूमि बतौर सड़क बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पीडब्ल्यू के खाते में गैर मुमकिन सड़क के रूप में दर्ज की जा चुकी है। ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से सभी तथ्यों को विचार में लेकर अपने निष्कर्ष पारित किये है जिनमें फेराफेर का कोई आधार हस्तगत् द्वितीय अपील के माध्यम से प्रकट नहीं होता है तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है वह चस्पा नहीं होने से अपीलांट् को कोई सहायता प्रदान नहीं करते है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्षों के माध्यम से अपीलांट्स के वादपत्र/अपील को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील को अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है किः- अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है तथा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-03-2004 व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 05-09-2000 यथावत् बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य